

संख्या : /XI/13/56 (21)2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार  
प्रमुख सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त  
ग्राम्य विकास विभाग  
पौड़ी।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना  
(UGVS)

पंजीकरण संख्या 350

दिनांक 08/6/2017

पत्रावली संख्या

शुद्धि

FE-M-118 & AM-F  
EPCU

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 06 जून, 2017

विषय : ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत आईफैड सहायतित "समेकित आजीविका सहयोग परियोजना" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 3048/XI/13/56 (21)2011, दिनांक 21 मार्च, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु पदों का सृजन किया गया है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के कार्यों के सुचारु एवं सफल सम्पादन हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के पृष्ठ-3 के क्रमांक 1 के पश्चात अपर परियोजना निदेशक, यूजीवीएस, आईएलएसपी (आई0ए0एस0 संवर्ग) के पद को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव

संख्या : 897 /XI/13/56 (21)2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक एवं वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, सीपीसीयू, आई0एल0एस0पी0, देहरादून
7. समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(युगल किशोर पन्त)

अपर सचिव